प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका दाण्डिक सं 373/2025

1 – दुर्गा देवी कैथोलिया पति स्वर्गीय दुर्गेंद्र कैथोलिया उम्र लगभग 34 वर्ष निवासी ग्राम 19–भवरमारा, सिंघोला, तहसील राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़

2 – लक्ष्मण सोनकर पिता हिरऊराम सोनकर उम्र लगभग 65 वर्ष निवासी ग्राम 19–भवरमारा, सिंघोला, तहसील राजनांदगांव, जिला – राजनांदगांव छत्तीसगढ़

3 – सुशीला सोनकर पति लक्ष्मण सोनकर आयु लगभग 55 वर्ष गाँव 19–भावरमारा, सिंघोला, तहसील राजनंदगाँव, जिला–राजनंदगाँव छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 – छत्तीसगढ़ राज्य अपने सचिव के द्वारा, गृह मंत्रालय विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़

2–पुलिस महानिदेशक, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

3 – पुलिस महानिरीक्षक, राजनंदगांव, जिला–राजनंदगांव छत्तीसगढ़

4 – कलेक्टर, धमतरी जिला–धमतरी छत्तीसगढ़

5 – पुलिस अधीक्षक, धमतरी जिला–धमतरी छत्तीसगढ़

6 – थाना प्रभारी,, पुलिस थाना अर्जुनी, जिला धमतरी छत्तीसगढ़

7 – सन्नी दुबे, थाना प्रभारी,, पुलिस थाना अर्जुनी, जिला–धमतरी छत्तीसगढ़

8– तत्कालीन जिम्मेदार कर्मचारी पुलिस थाना,अर्जुनी ,जिला धमतारी छत्तीसगढ़

----उत्तरवादी

याचिकाकर्ता हेतु :श्री सी. आर. साहू तथा श्री विनोद कुमारदेवांगन, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :श्री शशांक ठाकुर, उप महाधिवक्ता तथा श्री एस. एस.बघेल, उप शासकीय अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री बिभू दत्ता गुरु, न्यायाधीश

<u>पीठ पर आदेश</u>

रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधीश के अनुसार,

06.10.2025

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री सी. आर. साहू और श्री विनोद कुमार देवांगन के तर्क को सुना गया। साथ ही उत्तरवादी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री शशांक ठाकुर और विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री एस. एस. बघेल के तर्क को सुना गया।

2. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अनुतोष हेतु अनुरोध किया हैः---

"(i) यह कि, माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वह याचिकाकर्ताओं के परिवाद पर उचित विधिक कार्यवाही करने और न्याय के हित में अभियुक्त/उत्तरवादी संख्या 7 और 8 के विरुद्ध बी.एन.एस. की धारा 103, 3 (5) के तहत अपराध करने के लिए यथाशीघ्र एफआईआर दर्ज करने हेतु प्रतिवादी पुलिस अधिकारियों को परमादेश, आदेश या निर्देश जारी करे।

(ii) यह कि माननीय न्यायालय कृपया न्याय के हित में याचिकाकर्ताओं के परिवाद पर सीबीआई को प्रकरण की अन्वेषण करने और बी.एन.एस. की धारा 103, 3 (5) के तहत अपराध करने के लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ यथाशीघ्र एफआईआर दर्ज करने के लिए परमादेश रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा करे।

(iii)यह कि, माननीय न्यायालय से निवेदन है कि न्याय के हित में उत्तरवादी अधिकारियों को मृतक के परिवार के किसी एक सदस्य को निर्धारित समय के भीतर सरकारी नौकरी दिलाने का निर्देश दिया जाए

(iv) यह कि, माननीय न्यायालय से निवेदन है कि न्याय के हित में उत्तरवादी अधिकारियों को मृतक की मृत्यु के कारण यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया जाए।

(v) यह कि, माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि वह न्याय के हित में याचिकाकर्ताओं द्वारा आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना और दस्तावेज यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दे।

(vi) यह कि, माननीय न्यायालय न्याय के हित में, याचिकाकर्ताओं के परिवाद पर माननीय न्यायालय द्वारा ललिता कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में निर्धारित विधि के अनुसार आवश्यक कदम उठाने के लिए उत्तरवादी संख्या 1 से 3 को निर्देश देने हेतु उचित रिट जारी करने की कृपा करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(vii) यह कि, माननीय न्यायालय न्याय के हित में याचिकाकर्ताओं और मृतक के परिवार के सदस्यों को हुए मानसिक उत्पीड़न और हानि के लिए उत्तरवादी अधिकारियों को क्षतिपूर्ति देने का निर्देश देने की कृपा करे।

(viii) प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार जो भी अन्य अनुतोष उपयुक्त हो, वह भी प्रदान की जाए।"

3. याचिकाकर्ताओं की शिकायत संक्षेप में यह है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 मृतक दुर्गेंद्र कथोलिया की पत्नी हैं, और याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 उनके परिवार के सदस्य हैं।अर्जुनी पुलिस थाना की पुलिस ने उक्त दुर्गेंद्र कथोलिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 और 468 के तहत एफआईआर संख्या 47/2025 दर्ज की।उक्त एफआईआर के आधार पर, पुलिस ने दुर्गेंद्र कथोलिया को 29.03.2025 को शाम लगभग 5 बजे गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें 31.03.2025 को धामतरी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमांड के लिए पेश किया।निर्माण के समय दुर्गेन्द्र कथोलिया स्वस्थ थे।रिमांड के बाद, उसी दिन शाम लगभग 5:00 बजे उन्हें छत्तीसगढ़ के धमतारी जिले के अर्जुनी पुलिस थाना की अभिरक्षा में वापस ले जाया गया। इसके बाद, अर्जुनी पुलिस थाना के कर्मचारियों ने अपने अधिकार का घोर दुरुपयोग किया और हिरासत में रहते हुए दुर्गेंद्र कथोलिया को तृतीय-श्रेणी की यातनाएं दीं।परिणामस्वरूप, उनके शरीर पर लगभग 25-30 चोटें आईं, जो उनके बाएं हाथ, छाती, जांघ, घुटने, टांग, चेहरे और नाक पर थीं, जैसा कि उनके मृत शरीर पर देखा गया।इस तरह की क्रूर यातना के कारण, दुर्गेंद्र कथोलिया की 31.03.2025 को रात लगभग 8:00 बजे पुलिस अभिरक्षा में चोटों के कारण मृत्यु हो गई।इसके बाद, अगले दिन अर्थात 01.04.2025 को सुबह लगभग 11:00 बजे, संबंधित पुलिस अधिकारियों ने झूठी सूचना दी कि दुर्गेंद्र कथोलिया बीमार पड़ गए हैं और उनकी मृत्यु की सच्चाई को छुपाते हुए उन्हें धामतरी स्थित जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया।पुलिस ने फिर मर्ग सं 16/2025 दर्ज की और उसी दिन शाम लगभग 5:00 बजे शव का पोस्टमार्टम कियागया। इसके बाद शव याचिकाकर्ताओं को सौंप दिया गया।शव प्राप्त होने पर याचिकाकर्ताओं ने ऊपर वर्णित अनेक चोटें देखीं और उन्हें पता चला कि दुर्गेंद्र कथोलिया की मृत्यु जिला धमतारी के अर्जुनी पुलिस स्टेशन में अभिरक्षा में यातना के कारण हुई थी।इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सक्षम अधिकारियों के समक्ष उत्तरवादी संख्या 7 और 8 के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 और 3(5) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए कई परिवाद प्रस्तुत कीं, लेकिन लगभग डेढ़ महीने बीत जाने के बावजूद आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।इस तरह की निष्क्रियता के कारण, याचिकाकर्ता गंभीर मानसिक पीड़ा का सामना कर रहे हैं, तथा परिवार की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जबकि उत्तरवादी संख्या 7 तथा 8 बिना जवाबदेही के स्वतंत्र रूप से घूमना जारी रखते हैं।इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने इस रिट याचिका को प्राथमिकता दी है, जिसमें उत्तरवादी अधिकारियों को उनके परिवाद पर कानूनी कार्यवाही करने तथा उत्तरवादी संख्या 7 तथा 8 के विरुद्ध जल्द से जल्द प्राथमिकी दर्ज करने के लिए उचित निर्देश देने की मांग की गई है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि यह रिट याचिका दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित निर्देश जारी करने और याचिकाकर्ता संख्या 1 के पति दुर्गेंद्र कथोलिया की क्रूर हिरासत में हुई मौत की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ अन्वेषण की मांग करते हुए दायर की गई है।यह निवेदन किया जाता है कि मृतक को जिला धमतारी के अर्जुनी पुलिस स्टेशन द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 और 468 के तहत कथित अपराधों के लिए एफआईआर संख्या 47/2025 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था और 31.03.2025 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धमतारी के समक्ष रिमांड के लिए पेश किया गया था।उस समय मृतक की तबीयत ठीक थी।हालांकि, पुलिस अभिरक्षा में वापस लाए जाने के महज तीन घंटे के भीतर ही, रात करीब 8:00 बजे वह पुलिस स्टेशन के अंदर मृत पाया गया।पोस्टमॉर्टम और चिकित्सा–विधिक रिपोर्टों से पता चलता है कि उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों, जिनमें हाथ, छाती, जांघ, टांग और चेहरा शामिल हैं, पर 25–30 चोटें थीं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि मृतक को पुलिस अभिरक्षा में तृतीय–श्रेणी की यातना दी गई थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा उच्च अधिकारियों से बार–बार परिवाद और अभ्यावेदन किए जाने के बावजूद, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, और अधिकारियों ने जानबूझकर प्रतिवादी संख्या 7 और 8 को बचाया है, जो अभिरक्षा में यातना और मृत्यु के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं।

5. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी अधिकारियों का आचरण पूर्णतया मनमाना, अवैध और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।याचिकाकर्ता संख्या 1 के पति की अभिरक्षा में हुई मौत सत्ता का घोर दुरुपयोग और जीवन एवं गरिमा के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।स्थानीय पुलिस, घटना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने के कारण, निष्पक्ष जांच की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अतः याचिकाकर्ता केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच का निर्देश देने का अनुरोध करते हैं ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके और दोषियों को जवाबदेह ठहराया जा सके।विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि याचिकाकर्ता संख्या 1, मृतक की विधवा होने के कारण, आजीविका के किसी भी साधन से वंचित रह गई है, अतः राज्य संवैधानिक और नैतिक रूप से उसे पर्याप्त क्षतिपूर्ति और उपयुक्त रोजगार प्रदान करने के लिए बाध्य है।अतः यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय उत्तरवादी संख्या 7 और 8 के विरुद्ध आईपीसी/बीएनएस की धारा 302, 120–बी और 201 के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे, मामले की सीबीआई अन्वेषण का आदेश दे और न्याय के हित में याचिकाकर्ता और उसके परिवार को उचित क्षतिपूर्ति तथा अनुतोष प्रदान करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर, प्रतिवादियों/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि 30.03.2025 को रोहित सिन्हा, पुत्र श्री महत्तर सिन्हा, आयु 64 वर्ष, निवासी ग्राम झिरिया, पुलिस स्टेशन अर्जुनी, जिला धमतारी (सीजी.) द्वारा एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मृतक आरोपी दुर्गेंद्र कुमार कथोलिया, पुत्र लक्ष्मण कथोलिया, आयु 41 वर्ष, निवासी ग्राम भंवरमारा, पुलिस स्टेशन बसंतपुर, जिला राजनांदगांव (सीजी.) ने उन्हें और कई अन्य किसानों को आदर्श कृषि बीज उत्पादक कल्याण समिति (सीजी.) की ओर से धान खरीदने के बहाने धान बेचने के लिए प्रेरित किया था।इस प्रलोभन के प्रभाव में आकर शिकायतकर्ता ने मृतक–आरोपी को वर्ष 2023 और 2024 के लिए 15,49,700 रुपये मूल्य का धान बेचा, जबकि आरोपी ने इसी तरह धमतरी जिले

के लगभग 46 अन्य किसानों को भी धोखा दिया, जिससे उन्हें सामूहिक रूप से लगभग 7,73,00,000 रुपये का नुकसान हुआ।यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने भुगतान के लिए चेक जारी किए थे, जो बाद में बाधित हो गए।आरोपों को संज्ञेय मानते हुए, पुलिस स्टेशन अर्जुनी ने धारा 420 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपराध संख्या 47/2025 दर्ज की। यह भी बताया गया है कि जांच के दौरान, पुलिस ने पहले झिरिया गांव और फिर भंवरमारा गांव का दौरा किया, जहां शिकायतकर्ता और अन्य ग्रामीणों ने आरोपी की पहचान की।उसी समय कुछ अज्ञात लोग आए और उन्होंने आरोपी पर हमला कर दिया। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया, आरोपी को भीड़ से छुड़ाया और अभिरक्षा में ले लिया गया।अपनी पत्नी, माता-पिता और साक्षीयों की उपस्थिति में पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कबूल किया कि उसने धोखाधड़ी से प्राप्त धन से सोना, वाहन और अचल संपत्ति सहित कई संपत्तियां खरीदी थीं।उसके बयान के आधार पर, कई आपत्तिजनक वस्तुएं और दस्तावेज जब्त किए गए।बाद में आई. पी. सी. की धारा 467 तथा 468 के तहत अपराध जोड़े गए।अभियुक्त को 31.03.2025 को 16:20 बजे गिरफ्तार किया गया और उसके परिवार को विधिवत सूचित कर दिया गयाथा ।उनकी चिकित्सा जांच और रिमांड धमतरी के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष संपन्न हुई, जिन्होंने 04.04.2025 तक पुलिस रिमांड प्रदान की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. आगे यह भी बताया गया है कि पुलिस रिमांड प्राप्त करने के बाद, न्यायालय से वापस लाए जाने के दौरान, आरोपी ने बेचैनी की शिकायत की।पुलिस स्टेशन पहुँचने पर, उसकी चिकित्सा जांच का फॉर्म तैयार किया गया और उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर कई चोटें दर्ज की गईं, हालांकि, चिकित्सा बोर्ड ने राय दी कि सभी चोटें मामूली थीं, मृत्यु से पहले की प्रकृति की थीं और 3-6 दिन पुरानी थीं, जो मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। मृत्यु का कारण श्वासावरोध बताया गया, जिसके परिणामस्वरूप हृदय-श्वसन अवरोध हुआ।आगे यह निवेदन किया जाता है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशानुसार धमतरी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक जांच कराई गई थी और दिनांक 28.05.2025 की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। अतः, अभिरक्षा में यातना के आरोप का खंडन किया जाता है, क्योंकि अभियुक्त की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी, न कि किसी चोट या पुलिस दुर्व्यवहार के परिणामस्वरूप।

8. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बात सुनी और रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

9. अभिवेदनों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्क पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय पाता है कि कुछ तथ्य विवादित नहीं हैं।

10.मृतक दुर्गेंद्र कुमार कथोलिया को जिला धमतारी के अर्जुनी पुलिस स्टेशन की पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 467 और 468 के तहत अपराध संख्या 47/2025 के संबंध में अभिरक्षा में लिया था और 31.03.2025 को शाम लगभग 5 बजे माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धमतारी के समक्ष रिमांड के लिए पेश

किया गया था। न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने के समय वह स्वस्थ थे।यह भी निर्विवाद है कि इसके लगभग तीन घंटे बाद, शाम लगभग 8 बजे पुलिस अभिरक्षा में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।पुलिस स्टेशन परिसर के भीतर ऐसी घटना होना असाधारण है और पुलिस अधिकारियों के आचरण और मृत्यु के कारणों की न्यायिक जांच का विषय है

10. पोस्टमार्टम और चिकित्सा जांच रिपोर्टों से पता चलता है कि मृत्यु का कारण श्वासावरोध था, जिसके परिणामस्वरूप हृदय-श्वसन अवरोध हुआ और शरीर के विभिन्न भागों पर मृत्यु से पहले के चौबीस घाव मौजूद थे।राज्य ने इन घावों को "मामूली" और "3-6 दिन पुराने" बताकर टालने का प्रयास किया है। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की सुरक्षा और शारीरिक अखंडता सुनिश्चित करने का दायित्व पूर्णतः राज्य पर है।चाहे चोटें मामूली हों या गंभीर, पुरानी हों या हाल की, राज्य उस मृत्यु के लिए जिम्मेदारी से बच नहीं सकता जो उस दौरान हुई हो जब व्यक्ति उसके पूर्ण नियंत्रण और संरक्षण में था।चोटों की बहुलता और वितरण, साथ ही न्यायिक अभिरक्षा और मृत्यु के बीच का कम समय, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मृतक को पुलिस अभिरक्षा में गंभीर शारीरिक उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार का शिकार होना पड़ा। इन सभी परिस्थितियों को समग्र रूप से देखने पर यह अनिवार्य निष्कर्ष निकलता है कि मृत्यु पुलिस अत्याचार और अभिरक्षा में हुई ज्यादती का परिणाम थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इस न्यायालय द्वारा राज्य के विद्वान अधिवक्ता से पूछे गए एक विशिष्ट प्रश्न पर यह पता चला कि दोनों पक्षों द्वारा इस पर भरोसा किए जाने के बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति रिट याचिका के साथ दाखिल नहीं की गई थी।अभिरक्षा में हुई मृत्यु से संबंधित मामले में ऐसे मूलभूत दस्तावेज का न होना एक गंभीर चूक है। अभिरक्षा में हुई मृत्यु के मामलों में प्रक्रियात्मक पारदर्शिता और अभिलेखों के रखरखाव का उच्चतम स्तर आवश्यक है।इस चूक से यह चिंता और भी पुष्ट होती है कि घटना की जांच न तो गहन थी और न ही ऐसे मामलों के लिए आवश्यक गंभीरता से की गई थी।

12. यह सत्य है कि मृतक छल और जालसाजी के आरोपों से जुड़े एक मामले में आरोपी था। यद्यपि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और गरिमा का अधिकार किसी व्यक्ति के नैतिक चरित्र या विधिक स्थिति पर निर्भर नहीं है।एक आरोपी व्यक्ति को भी सभी संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हैं, जिनमें गरिमापूर्ण व्यवहार का अधिकार और क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से मुक्त रहने का अधिकार शामिल है।पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु, भले ही वह प्राकृतिक कारणों से हुई हो, गहन न्यायिक जांच की मांग करती है, क्योंकि मृतक राज्य अधिकारियों की देखरेख में था और उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी

13. न्यायालय इस स्थापित मत से अवगत है कि जब किसी व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के कारण को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट करने का भार राज्य पर ही होता है। केवल "स्वाभाविक मृत्यु" का दावा करने से राज्य अपने संवैधानिक दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता, जब तक कि विश्वसनीय, स्वतंत्र साक्ष्यों के माध्यम से परिस्थितियाँ पूरी तरह से स्थापित न हो जाएँ।

दुर्भाग्यवश, वर्तमान मामले में, राज्य ऐसा कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि मृत्यु पूरी तरह से स्वाभाविक थी या हिरासत की परिस्थितियों से असंबंधित थी।इसके विपरीत, मृतक के शरीर पर पाए गए घाव और अधिकारियों द्वारा किसी भी तर्कसंगत स्पष्टीकरण का अभाव स्पष्ट रूप से पुलिस अत्याचार के समतुल्य हिरासत में यातना और क्रूरता की ओर इशारा करते हैं।

14. अभिरक्षा में मृत्यु और क्षतिपूर्ति से संबंधित प्रमुख मामला सहेली बनाम पुलिस आयुक्त का है, जिसकी रिपोर्ट (1990) 1एससीसी 422 में प्रकाशित हुई है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:- "10.दिल्ली अपराध शाखा के निरीक्षक की 5 दिसंबर, 1987 की रिपोर्ट और दिल्ली पुलिस आयुक्त की ओर से दिल्ली के पुलिस उपायुक्त के प्रति-हलफनामे से, साथ ही इस तथ्य से कि कमलेश कुमारी के पुत्र नरेश की मृत्यु के संबंध में अभियोजन शुरू किया गया है, यह स्पष्ट है कि नरेश की मृत्यु संप्रभु शक्ति की एजेंसी द्वारा अपनी शक्ति का उल्लंघन और दुरुपयोग करते हुए मारपीट और हमले के कारण हुई थी।हमारे विचार में, बच्चे की माता कमलेश कुमारी अपने पुत्र की मृत्यु के लिए प्रतिवादी 2, दिल्ली प्रशासन से क्षतिपूर्ति पाने की हकदार हैं।

11. शारीरिक क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है, जिसमें मारपीट, हमला, अवैध कारावास, शारीरिक चोटें और मृत्यु शामिल हैं।हमले, मारपीट और अवैध कारावास के मामलों में क्षतिपूर्ति व्यापक होता है और यह मानसिक पीड़ा, कष्ट, अपमान, स्वतंत्रता की हानि और मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि कमलेश कुमारी के 9 वर्षीय पुत्र की मृत्यु एसएचओ लाल सिंह द्वारा मारपीट और हमले के कारण हुई थी, इसलिए वह अपने पुत्र की मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति पाने की हकदार हैं।यह सर्वविदित है कि राज्य अपने कर्मचारियों के कुकर्मों के लिए उत्तरदायी है।उत्तरवादी 2, दिल्ली प्रशासन आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन के एसएचओ श्री लाल सिंह द्वारा पिटाई के कारण अपने पुत्र की मृत्यु के लिए श्रीमती कमलेश कुमारी को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी है।

15. इस विषय पर एक अन्य मामला श्रीमती नीलाबती बेहराउर्फ बेहरा उर्फ ललिता बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य का है, जो AIR 1993 SC 1960 में रिपोर्ट किया गया है, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अभिरक्षा में मृत्यु के मुद्दे पर अपनी टिप्पणी देने का अवसर मिला था।माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी; -

"16. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सार्वजनिक कानून में मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति का दावा, जिनकी सुरक्षा संविधान में गारंटीकृत है, ऐसे अधिकारों के प्रवर्तन और संरक्षण के लिए एक स्वीकृत उपाय है, और किसी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक उपाय का सहारा लेकर किया गया ऐसा दावा, जो कठोर दायित्व पर आधारित है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन से उत्पन्न अपकृत्य के लिए निजी विधि में क्षतिपूर्ति के उपाय से 'अलग और अतिरिक्त' है।संप्रभु प्रतिरक्षा का बचाव लागू न होने और मौलिक अधिकारों की गारंटी की अवधारणा से भिन्न होने के कारण, संवैधानिक उपाय में ऐसे बचाव के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपलब्ध होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।"यह वही सिद्धांत है जो संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक मुआवजे के पुरस्कार को उचित ठहराता है, जब राज्य या उसके कर्मचारियों द्वारा अपनी शक्तियों के कथित प्रयोग में किए गए उल्लंघन के लिए उपलब्ध निवारण का यही एकमात्र व्यावहारिक तरीका हो, और संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 का सहारा लेकर सार्वजनिक कानून में उपाय के माध्यम से मौलिक अधिकार के प्रवर्तन का दावा किया जाता है।रुदुल साह ((ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 1086)) मामले में यही बात कही गई थी और इसी के आधार पर बाद के उन फैसलों में मुआवज़ा दिया गया जिनमें संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवज़ा दिया गया था।

33. सार्वजनिक विधि की कार्यवाही निजी विधि की कार्यवाही से भिन्न उद्देश्य की पूर्ति करती है। इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत या उच्च न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अविभाज्य अधिकार के सिद्ध उल्लंघन के लिए, अनुकरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में मौद्रिक क्षतिपूर्ति के अनुतोष सार्वजनिक विधि में उपलब्ध एक उपाय है और यह नागरिक के गारंटीकृत मौलिक और अविभाज्य अधिकारों के उल्लंघन के लिए कठोर दायित्व पर आधारित है।सार्वजनिक कानून का उद्देश्य केवल सार्वजनिक सत्ता को सुसंगठित करना ही नहीं है, बल्कि नागरिकों को यह आश्वासन देना भी है कि वे एक ऐसी कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं जिसका लक्ष्य उनके हितों की रक्षा करना और उनके अधिकारों को संरक्षित करना है।इसलिए, जब न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 या 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या संरक्षण की मांग करने वाली कार्यवाही में "क्षतिपूर्ति" प्रदान करके अनुतोष प्रदान करता है, तो वह ऐसा सार्वजनिक कानून के अंतर्गत ही करता है, जिसके द्वारा वह दोषी को दंडित करता है और उस राज्य पर सार्वजनिक दुराचार का दायित्व निर्धारित करता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के अपने सार्वजनिक कर्तव्य में विफल रहा है।ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति का भुगतान, निजी कानून के तहत दीवानी वाद में आम तौर पर समझे जाने वाले अर्थ में नहीं, बल्कि सार्वजनिक कानून के तहत 'मौद्रिक क्षतिपूर्ति' के आदेश द्वारा राहत प्रदान करने के व्यापक अर्थ में किया जाना चाहिए, जो सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन या नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा न करने के कारण हुए गलत काम के लिए दिया जाता है। यह क्षतिपूर्ति, सार्वजनिक कानून के तहत अपने कर्तव्य के उल्लंघन के लिए दोषी को दिए जाने वाले 'दण्डात्मक क्षतिपूर्ति' के रूप में होता है और पीड़ित पक्ष को निजी कानून के तहत क्षतिपूर्ति का दावा करने, सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने या/और दंड कानून के तहत अपराधी पर वाद चलाने के लिए उपलब्ध अधिकारों से स्वतंत्र होता है।यह न्यायालय और उच्च न्यायालय, नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक होने के नाते, न केवल शक्ति और अधिकार क्षेत्र रखते हैं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पीड़ित या पीड़ित के उत्तराधिकारी को राहत प्रदान करने का दायित्व भी रखते हैं, जिनके मौलिक अधिकारों का भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत घोर उल्लंघन सिद्ध हो चुका है। इसके लिए वे राज्य को अपने अधिकारियों द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पहुँचाई गई क्षति की भरपाई करने का आदेश दे सकते हैं, भले ही नागरिकों को दीवानी वाद या आपराधिक कार्यवाही के माध्यम से उपाय प्राप्त करने का अधिकार हो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997 (1) एससीसी416) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार किया और यह निर्णय दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों, अर्थात् जीवन के अधिकार, के सिद्ध उल्लंघन के लिए मौद्रिक क्षतिपूर्ति दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा: –

" अभिरक्षा में हिंसा, जिसमें यातना और कोठरियों में मृत्यु शामिल है, विधि के शासन पर प्रहार है, जिसके अनुसार कार्यपालिका की शक्तियाँ न केवल विधि से प्राप्त होनी चाहिए, बल्कि विधि द्वारा ही सीमित भी होनी चाहिए। अभिरक्षा में हिंसा चिंता का विषय है।"यह इस तथ्य से और बढ़ जाता है कि यह उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्हें नागरिकों का रक्षक माना जाता है।यह अपराध पुलिस स्टेशन या लॉकअप की चारदीवारी के भीतर, वर्दी और अधिकार की आड़ में किया जाता है, जबकि पीड़ित पूरी तरह से असहाय होता है। एक स्वतंत्र समाज में पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तक अधिकारियों द्वारा यातना और दुर्व्यवहार से व्यक्ति की सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय है।

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मलकीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में, जो 1998 (9) एससीसी 351 में प्रकाशित हुआ था, अपने निर्णय में उस पिता को 5 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति दिया, जिसके बेटे की पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में मृत्यु हो गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. अजब सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में, जो (2000) 2 एससीसी 521 में प्रकाशित हुआ था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए एक व्यक्ति की अभिरक्षा में मृत्यु के संबंध में क्षतिपूर्ति पर विचार करते हुए, जिसे जेल में रहते हुए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विचार करने पर यह पाया गया कि उसकी मृत्यु मृत्यु से पहले लगी चोटों के कारण सदमे और रक्तस्राव से हुई थी, राज्य सरकार के बचाव को स्वीकार करने से इनकार करते हुए मुआवजे के भुगतान का आदेश दिया और कहा कि जब ऐसी मौतें होती हैं, तो अभिरक्षा में रखने वाले न केवल आम जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, बल्कि उन न्यायालयों के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं जिनके आदेशानुसार वे ऐसी अभिरक्षा में रखते हैं।

19. मीना सिंह बनाम बिहार राज्य (2001 क्रिमिनल लॉ जर्नल 3573) मामले में पीड़ित को सह–कैदियों द्वारा छुरा, लोहे की छड़ों और बेल्ट आदि से पीट–पीटकर मार डाला गया था। पटना उच्च न्यायालय ने मृतक के परिजनों को अभिरक्षा में पीड़ित की अप्राकृतिक मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति दिया।

20. आर. धनलक्ष्मी बनाम तमिलनाडु सरकार के मामले में,2004 डब्ल्यू.एल.आर. 346 में प्रकाशित, न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने मृतक की आयु, आय, पारिवारिक परिस्थितियों और आश्रितता आदि को ध्यान में रखते हुए, मोटर वाहन अधिनियम के तहत गुणक लागू करते हुए, अभिरक्षा में हुई मृत्यु के लिए 9 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति निर्धारित किया।

21. मद्रास उच्च न्यायालय ने राजम्मल बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में, (2008) 3 एमएलजे 167 में प्रकाशित, पुलिसकर्मियों के हमले के कारण अभिरक्षा में हुई मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति

की राशि पर विचार करते हुए कहा कि मृतक के परिवार को उचित क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए।बेहतर मूल्यांकन के लिए, इसके कंडिका 15 तथा 16 हेतु नीचे निकाला गया हैः

"15.अपील के ज्ञापन के आधार पर यह भी देखा जाता है कि अपीलार्थी के पुत्र 23,20 तथा 15 वर्ष के थे तथा पुत्रीयाँ अपने पति की मृत्यु के समय 22,18 तथा 17 वर्ष की थीं।अपीलार्थी द्वारा अपने बच्चों के बारे में दिए गए इन विवरणों पर उत्तरवादी ओं द्वारा किसी भी तरह से विवाद नहीं किया गया था।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मृतक का परिवार वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रहा है, संभवतः परिवार के मुखिया के अचानक समय से पहले खो जाने के कारण, वह भी सामान्य परिस्थितियों में, जिसके लिए पुलिस की ज्यादतियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है।अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विवरणों से, जिन पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई है, यह और भी स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को अपनी एक पुत्री और दो पुत्र का विवाह करना है, साथ ही अपने पोते की देखभाल भी करनी है, जिसके माता–पिता ने आत्महत्या कर ली थी।

16. मामले के इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, हम याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में की गई प्रार्थना के अनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आदेशित मुआवजे को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना उचित समझते हैं।यह रिट अपील तदनुसार स्वीकार की जाती है। इस पर कोई वाद व्यय देय नही होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. इसी प्रकार, संतोष कुमारी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2011) 3 एमपीएचटी 81 में दर्ज मामले में पीड़ित की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो गई और यह पाया गया कि उसके सिर, कंधों, आंखों, घुटनों और गुप्तांगों पर चोटें थीं।समय पर चिकित्सा सहायता न मिलने के कारण अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। अभिरक्षा में अप्राकृतिक मृत्यु को देखते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति दिया।

23. न्यायिक अभिरक्षा में अप्राकृतिक मृत्यु, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या सह–कैदी द्वारा की गई थी, अमनदीप बनाम पंजाब राज्य (2012 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 19844 में चर्चा का विषय था और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अभिरक्षा में अप्राकृतिक मृत्यु के कारण मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति दिया।

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2017) 10 एससीसी 658 में प्रकाशित "1382 जेलों में अमानवीय स्थितियों पर पुनर्विचार" मामले में अपने निर्णय में अभिरक्षा में हुई मौतों के मामलों में क्षतिपूर्ति की आवश्यकता पर निम्नलिखित प्रासंगिक शब्दों में चर्चा की है; –

55. पिछले कई वर्षों से पीड़ितों के अधिकारों पर चर्चा होती रही है और अपराध के पीड़ितों के अधिकारों में से एक अधिकार है क्षतिपूर्ति प्राप्त करना है।लगभग हर राज्य ने पीड़ित क्षतिपूर्ति योजनाएं बनाई हैं, जो एक सराहनीय कदम है।लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जेल में अप्राकृतिक मृत्यु का शिकार होने वाले व्यक्ति भी पीड़ित होते हैं – कभी अपराध के, कभी लापरवाही और उदासीनता के, या दोनों के।

केवल इसलिए कि अप्राकृतिक मृत्यु का शिकार व्यक्ति अपराधी है, उसके परिजनों को क्षतिपूर्ति मिलने से वंचित करने का कोई कारण नहीं है।मानवाधिकार किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति पर निर्भर नहीं होते, बल्कि वे सार्वभौमिक होते हैं।इस परिप्रेक्ष्य से देखने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मात्र इसलिए कि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप है या वह अपराध का अपराधी है और जेल में बंद है, वह अप्राकृतिक मृत्यु का शिकार भी हो सकता है।इसलिए मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति देना आवश्यक है।"

25. उपर्युक्त निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि राज्य या उसके कर्मचारियों द्वारा अपने अधिकारों के कथित प्रयोगमें किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में, पीड़ित नागरिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 का सहारा लेकर सार्वजनिक कानून के अंतर्गत उपाय कर सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि क्षतिपूर्ति "अनुकरणीय क्षतिपूर्ति" के रूप में दिया जाता है, जो अपराधी को उसके सार्वजनिक कानून कर्तव्य के उल्लंघन के लिए प्रदान की जाती है और यह पीड़ित पक्ष को निजी कानून के अंतर्गत किसी सक्षम न्यायालय में मुकदमा दायर करके या/और अपराधी पर दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा चलाकर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकार से स्वतंत्र है।इस प्रकार, यह स्थापित कानून है कि सार्वजनिक विधि के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति दिया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. उपरोक्त तथ्य और विधि के आधार पर, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि याचिकाकर्ता, मृतक की विधवा और माता–पिता होने के नाते, अपने परिवार के सदस्य की असमय मृत्यु के कारण गंभीर मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक कठिनाइयों से पीड़ित हुए हैं।अभिरक्षा में हुई मृत्यु, चाहे उसका सटीक चिकित्सीय कारण कुछ भी हो, अनुच्छेद 21 के तहत राज्य के संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, जिसके तहत आश्रितों को उनके परिवार के मुखिया की मृत्यु और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति देना आवश्यक है।

27. न्यायालय ने गौर किया कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने याचिका की प्रार्थना संख्या 1 और 2 पर जोर नहीं दिया है, जो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही दर्ज करने से संबंधित हैं, और याचिका की प्रार्थना संख्या 3, 5 और 6 पर भी जोर नहीं दिया है, जो सरकारी नौकरी प्रदान करने, आरटीआई अधिनियम के तहत दस्तावेज प्राप्त करने और याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर आवश्यक कदम उठाने से संबंधित हैं, और उन्होंने अपनी प्रार्थना को प्रार्थना संख्या 4 और 7 तक ही सीमित रखा है, अर्थात् क्षतिपूर्ति के अनुदान के संबंध में अपनी प्रार्थना को सीमित करता है।तदनुसार, प्रार्थना संख्या 1,2,3,5 तथा 6 को दबाए बिना खारिज कर दिया जाता है।

28. अब जो प्रश्न विचार हेतु उठता है, वह क्षतिपूर्ति की राशि के संबंध में है।न्यायालयों ने बार–बार पुलिस और जेल अधिकारियों के ऐसे आचरण की निंदा की है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और यह लगातार अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि राज्य, अपने अधिकारियों के माध्यम से, अपने अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के जीवन के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाया जाता है, तो मुआवजे का प्रावधान न केवल पीड़ित

परिवार को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के रूप में कार्य करना चाहिए, बल्कि ऐसे अमानवीय कृत्यों की पुनरावृत्ति के विरुद्ध एक निवारक के रूप में भी कार्य करना चाहिए।ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति देने का उद्देश्य दो गुना है: पहला, पीड़ितों के परिवार को हुए अपूरणीय नुकसान के लिए कुछ सांत्वना प्रदान करना, और दूसरा, राज्य को यह याद दिलाना कि उसकी संवैधानिक और नैतिक ज़िम्मेदारी है कि उसकी अभिरक्षा में किसी भी व्यक्ति को यातना, क्रूरता या अपमान का शिकार न बनाया जाए।वर्तमान मामले में, अभिलेख पर मौजूद सामग्री स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि मृतक, दुर्गेंद्र कुमार कथोलिया, जिनकी उम्र लगभग 41 वर्ष थी और जिन्हें धोखाधड़ी और वित्तीय जालसाजी के एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया था, 31.03.2025 को शाम 5:00 बजे जब उन्हें माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, तब वे स्वस्थ थे, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में महज तीन घंटे बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चौबीस पूर्व–मृत्युकालीन चोटों का पता चला है, साथ ही चिकित्सक की राय के अनुसार मृत्यु का कारण श्वासावरोध (एस्फिक्सिया) है। इससे स्पष्ट रूप से साबित होता है कि मृतक को पुलिस द्वारा शारीरिक यातना और अमानवीय व्यवहार का शिकार बनाया गया था।इन परिस्थितियों से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि अभिरक्षा में हिंसा और पुलिस अत्याचार का परिणाम थी, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दी गई गारंटी का पूर्ण उल्लंघन है।याचिकाकर्ता, मृतक की विधवा तथा माता–पिता होने के नाते, इस प्रकार अत्यधिक मानसिक पीड़ा, स्नेह की हानि, निर्भरता तथा सामाजिक आघात का सामना करना पड़ा है।सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की यह राय है कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति पर्याप्त, न्यायसंगत और सार्थक होना चाहिए।तदनुसार, यह न्यायालय प्रतिवादी राज्य को निर्देश देना उचित समझता है कि वह मृतक की विधवा याचिकाकर्ता संख्या 1 को उसके और उसके दो नाबालिग बच्चों के लिए कुल 3,00,000/– रुपये (तीन लाख रुपये) और मृतक के माता–पिता याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 को प्रत्येक को 1,00,000/– रुपये (एक लाख रुपये) का मुआवजा इस आदेश की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर भुगतान करे, अन्यथा उक्त राशि पर इस निर्णय की तिथि से भुगतान होने तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग के सचिव (उत्तरवादी संख्या 1) इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते है और निर्धारित समय के भीतर भुगतान करेंगे ताकि पीड़ित परिवार को कुछ हद तक न्याय मिल सके और एक संस्थागत संदेश जाए कि पुलिस के ऐसे अत्याचारों को अनदेखा नहीं किया जाएगा।

29. परिणामस्वरूप, रिट याचिका को ऊपर बताए गए विस्तार तक स्वीकृति दी जाती है।

30. रजिस्ट्री के साथ–साथ राज्य के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की एक प्रति समस्त उत्तरवादी को सूचना तथा आवश्यक अनुपालन हेतु तुरंत भेजें।

31. अंत में, यह न्यायालय इस बात को दोहराना उचित समझता है कि अभिरक्षा में हुई मौतें और पुलिस अत्याचार आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास की नींव को ही कमजोर कर देते हैं।इस तरह की हर घटना विधि प्रवर्तन तंत्र की विश्वसनीयता को कम करती है और संवैधानिक शासन में नागरिकों के विश्वास को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हिला देती है।इसलिए, राज्य को मानवाधिकारों के संबंध में पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाने के लिए गंभीर कदम उठाने चाहिए, डी.के. बसु (उपरोक्त) दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए और पुलिस बल के भीतर इस तरह की बर्बर प्रथाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जवाबदेही उपायों को लागू करना चाहिए।

सही /–
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

सही /–
(बिभू दत्त गुरु)
न्यायाधीश

हेड–नोट:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यदि किसी व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के कारण को विश्वसनीय और स्वतंत्र साक्ष्यों के माध्यम से स्पष्ट करने का दायित्व राज्य पर होता है।ऐसा करने में विफलता, विशेषकर उन मामलों में जहां मृत्यु से पहले चोटें मौजूद हों या अभिरक्षा के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है।राज्य मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी है, जो परिवार को राहत प्रदान करने और भविष्य में ऐसे उल्लंघनों को रोकने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur